HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3849/2026

Rajkumar S/o Rameshwar Lal, Aged About 42 Years, R/o Puniya Ka Bas, Bidasar, Police Station Balara, Tehsil Laxmangarh, District Sikar, Rajasthan. (At Present Lodged In District Jail, Dungarpur.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Chitransh Joshi
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP with Mr. OP Choudhary

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

28/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना बिच्छीवाड़ा जिला डूंगरपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 57 राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय धारा 19/54, 57 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप है। सह–अभियुक्त रघुनाथ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 2834/2026 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मामला सह–अभियुक्त रघुनाथ से भिन्न नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी–अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप हेतु लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। सह–अभियुक्त रघुनाथ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 2834/2026 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मामला सह–अभियुक्त रघुनाथ से भिन्न नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **राजकुमार पुत्र रामेश्वर लाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

23-S N LOHRA/-